कार्यालय कमिश्नर, भोपाल संभाग, भोपाल
डी–ब्लाक पुराना सचिवालय भोपाल

दूरभाष 0755–2540399 फेक्स 0755–2540772 ई–मेल commbho@nic.in

:: **आ दे श** ::

भोपाल, दिनांक 12/12/2018

क्रमांक/9481/विकास–2/2018:– मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ–2–53/2017/1/55 दिनांक 12.1.2018 द्वारा जारी मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अंतर्गत दिनांक 10.112.2018 को संपन्न साक्षात्कार में चयन समिति द्वारा चयनित डॉ0 टी0एन0 दुबे, प्राध्यापक एवं विभागाध्ययक्ष, मेडिसिन विभाग, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल को अटल बिहारी वाजपेयी स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता के पद पर इस कार्यालय के आदेश दिनांक 10.12.18 द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई थी।

डॉ0 टी0एन0 दुबे द्वारा दिनांक 12.12.18 को आवेदन प्रस्तुत कर कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थता व्यक्त की है। चयन समिति द्वारां श्री सुनील नंदेश्वर, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, सामुदायिक आयुर्विज्ञान विभाग, बुंदेलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर को प्रतीक्षा सूची में प्रथम स्थान पर रखा गया है। अतः डॉ0 टी0एन0 दुबे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थता व्यक्त करने के कारण अधिष्ठाता, अटल बिहारी वाजपेयी स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा के पद पर प्रतीक्षा सूची में प्रथम स्थान पर रखे अभ्यर्थी डॉ0 सुनील नंदेश्वर, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, सामुदायिक आयुर्विज्ञान विभाग, बुंदेलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर को वेतनमान 37400–67000 10000 ग्रेड–पे में एवं शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत भत्तों पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन नियुक्त किया जाता है:–

1– यह नियुक्ति अटल बिहारी वाजपेयी स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा की सेवा शर्तो के अधीन होगी। संस्था अपनी सेवा शर्तो में संशोधन एवं परिवर्तन कर सकेगी।

2– नियुक्त अभ्यर्थी को 7 दिवस के अंदर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वयमेव निरस्त माना जायेगा।

3– नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें अटल बिहारी वाजपेयी स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा में 5 वर्ष की प्रतिनियुक्ति पर ली जाकर उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ प्राप्त होगा तथा विभाग द्वारा प्रतिनियुवित के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देश नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाओं पर बंधनकारी होंगे।

4– अधिष्ठाता के पद पर चयन उपरांत चयनित उम्मीदवार को मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के बाहर निजी प्रेक्टिस या परामर्शीय सेवायें देने की पात्रता नहीं होगी।

5– नियुक्त उम्मीदवार की सेवायें उपयुक्त न पाये जाने पर किसी भी समय प्रतिनियुंक्ति से वापिस की जा सकती है। नियुक्त उम्मीदवार को 65 वर्ष की आयु अथवा नियुक्ति दिनांक से 5 वर्ष

जो भी पहले हो तक अटल बिहारी वाजपेयी स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा में सेवायें देनी होंगी।

6– चिकित्सा शिक्षा विभाग, म0प्र0 शासन के द्वारा प्रसारित सभी आदेश निर्देश बंधनकारी होंगे।

7– चयन उपरांत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक नियुक्त उम्मीदवार को वचन पत्र देना होगा कि उसके विरूद्ध लोकायुक्त/आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरों (EOW) में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। भविष्य में नियुक्ति के समय लोकायुक्त/आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरों (EOW) में प्रकरण दर्ज होने की जानकारी संज्ञान में आने पर नियुक्ति निरस्त की जायेगी।

(कवीन्द्र कियावत)
आयुक्त भोपाल एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति
अटल बिहारी वाजपेयी स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा

पृ0क0/ 9482 /विकास–2/2018 भोपाल, दिनांक 12/12/2018

प्रतिलिपिः–

1– अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

2– महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर।

3– आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल।

4– अधिष्ठाता, अटल बिहारी वाजपेयी स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा।

5– अधिष्ठाता, बुंदेलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर।

6– कलेक्टर विदिशा।

7– संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, अटल बिहारी वाजपेयी स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा

8– कोषालय अधिकारी जिला कोषालय, विदिशा।

9– डॉ0 टी0एन0 दुबे, प्राध्यापक एवं विभागाध्ययक्ष, मेडिसिन विभाग, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल की ओर दिनांक 12.12.18 को प्राप्त आवेदन के तारतम्य में सूचनार्थ।

10– डॉ0 सुनील नंदेश्वर, प्राध्यापक एवं विभागाध्ययक्ष, सामुदायिक आयुर्विज्ञान विभाग बुंदेलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

(कवीन्द्र कियावत)
आयुक्त भोपाल एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति
अटल बिहारी वाजपेयी स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा